कार्यालय-ज्ञाप

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये पूरे देश में 21 दिन के लिये लाक डाऊन किया गया है। इस अवधि में औद्यानिक फसलों यथा-फल, सब्जी आदि को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में रखा गया है। अतः इन औद्यानिक फसलों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं अन्य सम्बन्धित सभी कार्यों को लाक डाऊन से मुक्त रखा गया है, औद्यानिक से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्यों पर कोई रोक नहीं है।

1. औद्यानिक फसलों यथा-फल, सब्जी, फूल,, मशरूम, शहद आदि के खेत से मण्डी या शीतगृह में भण्डारण हेतु परिवहन करना तथा अनलोडिंग उपरान्त खाली वाहन।
2. फल, सब्जियों आदि के खेत में तुड़ाई, खुदाई, ग्रेडिंग, लोडिंग-अनलोडिंग आदि कार्य के प्रयोग हेतु लगे श्रमिकों पर।
3. राजकीय प्रक्षेत्रों, पौधशालाओं, बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों, सेन्टर आफ एक्सीलेन्स पर दैनिक श्रमिकों/चतुर्थ श्रेणी द्वारा किये जाने वाले बागवानी सम्बन्धी कार्य।
4. शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खियों की कालोनी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बक्सों से शहद निकालना।
5. शीतगृहों एवं प्रक्षेत्रों पर औद्यानिक फसलों के लिये उपयोग में आने वाली सामग्री खाद, कीटनाशक/फफूंदी नाशक पैकिंग सामग्री, बोरे, शीतगृह में प्रयुक्त होने वाली गैस, अनुरक्षण सामग्री, शीतगृहों में फ्यूमीगेशन आदि कार्य।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी किसी भी तरह की समस्या आने पर जिला प्रशासन के माध्यम से समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें तथा इसका समाचार-पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार भी करायें।

(एस0बी0 शर्मा)
निदेशक।

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,उ0प्र0
2-सप्रू मार्ग,लखनऊ।

पत्रांक- 438 /पी.एस./2019-20/ लखनऊ, दिनांक, 27 मार्च 2020.

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
3. समस्त पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,उ0प्र0।
4. समस्त उप निदेशक उद्यान,उ0प्र0।
5. समस्त जनपदीय उद्यान अधिकारी,उ0प्र0।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र,उ0प्र0।
7. मुख्यालय के समस्त श्रेणी-1 के अधिकारीगण।

(एस0बी0 शर्मा)